न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 02/22 GCMS NO 2022/8

आम जनता बडकी गुवाडी ल्होलडी जरिये कुम्हेर सिह पुत्र मूल सिह जाति राजपूत निवासी ल्होलडी तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

वनाम

1. [illegible]टी उर्फ सत्येन्द्र सिह पुत्र राजेन्द्र सिह राजपूत निवासी नारौली तहसील सपोटरा
2. [illegible]राम
3. रामराज पिसरान इन्तुलाल
4. नेमीचंद पुत्र चरण
5. गजब पुत्र रामधन
6. कमल पुत्र इन्तलाल
7. कमल पुत्र रामधन जातियान माली निवासीयान नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली
8. नरेन्द्र सिह
9. विजेन्द्र सिह पुत्रान गोपाल सिह राजपूत निवासीयान नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली
11. होरीलाल पुत्र शिवलाल जाति मीना निवासी बडकी गुवाडी तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 78/21 निर्णय दिनांक 26.11.2021 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नेमीचंद गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री प्रदीप जैन

दिनांक 10.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:28 IST
Reason: SelfAttested

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अ[illegible]न्यायालय में आम जनता बडकी गुवाडी व ल्होलडी जरिये अपीलाट व रेस्पो0 [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 207 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि [illegible] खा0न0 127 रकबा [illegible] बीघा 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वाके ग्राम नारौली मे स्थित है। उक्त आराजीयात जागीरदारो के समय की है तथा सावन सिह पुत्र गंगासिह की खातेदारी की रही है। गंगासिह के पुत्र गोपाल सिह है। गोपाल सिह के वारिसान प्रतिवादी/रेस्पो0संख्या 8 व 9 है। सेटलमेंट के वाद उक्त आराजी मुसम्मात कमला कुमारी धर्म पत्नि गजेन्द्र सिह राजपूत के नाम सम्वत 2047-50 मे खातेदारी मे दर्ज हो गई जो गलत रूप से दर्ज हो गई। उक्त आराजी की कमला कुमारी उर्फ रामदुलारी पत्नि गजेन्द्र सिह उर्फ भवानी सिह की खातेदारी सेटलमेट के बाद आ गई और खातेदारी दर्ज नही हुई तथा कमला कुमारी उर्फ रामदुलारी के वारिसान भॅंवर बाई मोटी बाई राजेंन्द्र सिह मोहन सिह विनीता बाई तथा राजेन्द्र सिह पुत्र गजेन्द्र सिह फौत हो चुका है। जिसके वारिसान सतेन्द्र उर्फ बंटी पिंकी उर्फ बाई पत्नि कमला कमला बाई जबकि कमला बाई फौत हो चुकी है। जो कि राजेन्द्र सिह की पत्नि है। कमला बाई पत्नि राजेन्द्र सिह जनवरी 1995 मे फौत हो गई जिसका नामा0संख्या 472 खोला गया। जबकि कमला कुमारी पत्नि गजेन्द्र सिह कमला पत्नि राजेन्द्र सिह दोनो सास बहु है सास बहु के नाम समान है तथा कमला बाई पत्नि राजेन्द्र सिह ने साझ करके अपनी सास की जमीन से फर्जकारी करके अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 बंटी के नाम नामा0 खुलवा दिया जो कानूनन गलत है। कमला कुमारी उर्फ रामदुलारी का पुत्र राजेन्द्र सिह जनवरी 1995 मे फौत हुई थी तथा उक्त आराजी कमला उर्फ रामदुलारी पत्नि राजेन्द्र सिह पुत्र गजेन्द्र सिह उर्फ भवानी सिह का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नही है। लेकिन नामा0 संख्या 472 मे फर्जकारी करके प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम खुला लिया। जबकि कमला कुमारी उर्फ रामदुलारी पत्नि गजेन्द्र सिह उर्फ भवानी सिह की मृत्यु दिनांक 23 अप्रेल 2021 को ग्राम नारौली मे हुई थी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी दादी को 1995 मे फौत बताकर अपने नाम नामा0खुलवा लिया जो गलत है। उक्त आराजीयात ख0न0 126 रकबा 35 बीघा चारागाह भूमि से लगी हुई है उक्त आराजी पहाडी है जिसमे धौ के वृक्ष लगे हुए है जो आम बस्ती बड की गुवाडी व ल्होलडी के कब्जे मे रही है। जिससे पशुओ का पालन पोषण होता चला आ रहा है। प्रतिवादीगणो का कब्जा आज तक नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयात को बेचान करने का पता आम जनता को चलने पर नकल जमाबंदी प्राप्त की गई ज्ञात हुआ कि नामा0संख्या 936 ता 942 दिनांक 20.7.21 से बेचान का पता चला। प्रतिवादीगण व अन्य वारिसान की खातेदारी की भूमि पर पूर्व से ही बाउन्ड्री वाल करके क कब्जा काश्त है। उक्त आराजी ख0न0 127 से होकर बड़ की गुवाडी से नारौली के लिए ग्राम पंचायत अमरवाड द्वारा सी सी सडक निर्माण व बड की गुवाडी से ल्होलडी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सी सी निर्माण सडक व पुश्तैनी स्टेट समय से राजा का रास्ता जो कि आम जनता के पशुओ के लिए नदी मे पानी पीने का रास्ता है। इस प्रकार की आराजी से 4 प्रकार के रास्ते निकले है। जिसका नजरी नक्शे मे इन्द्राज है। इस प्रकार नामा0संख्या 472 व वयनामा नामा0 संख्या 936 ता 942 दिनांक 20.7.21 को निरस्त कर आराजीयात खातेदारी को निरस्त कर गैर मुमकिन पहाडी मे दर्ज की जावें। इस प्रकार की इस्तगासा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी होरी लाल द्वारा दिनांक 28 ... का दावा पत्र को ड्रोप कराने का

Signature Not Verified
Digitally Signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी कुम्हेर/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। वहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे दावा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 11 की और से पेश किया गया था जिसमे दिनांक 26.11.21 को वादी होरी लाल ने राजीनामा होने बाबत दर0 पेश की तथा दावा खारिज कर दिया गया। जबकि वादी कुम्हेर सिह की अनुपस्थिति कुम्हेर सिह एवं उनके वकील को बिना सुने दावा खारिज किया गया है। आम जनता की और से प्रस्तुत दावे मे किसी पक्षकार द्वारा दर0 प्रस्तुत करने पर दावा खारिज नही किया जा सकता है। बल्कि आम जनता को नोटिस जारी होते हुए सभी पक्षकारो को सुना जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य होने से अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस अपील मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की है एवं प्रकरण को उभयपक्ष को सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र दिनांक 10.9.21 को प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.9.21 को दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 25.10.21 मे नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.11.21 को वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी पर ली गई है। वादी होरी लाल द्वारा प्रस्तुत दर0 के आधार पर ही वाद पत्र को खारिज किया गया है। जो कि विधिक प्रक्रिया की पालना की श्रेणी मे नही आता है। आम जनता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे विवादित आराजी ख0न0 127 से होकर बड की गुवाडी से नारौली के लिए ग्राम पंचायत अमरवाड द्वारा सी सी सडक निर्माण व बड की गुवाडी से ल्होलडी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सी सी निर्माण सडक व पुश्तैनी स्टेट समय से राजा का रास्ता जो कि आम जनता के पशुओ के लिए नदी मे पानी पीने का रास्ता है। इस प्रकार की आराजी से 4 प्रकार के रास्ते निकले है। जिसका वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नजरी नक्शे मे इन्द्रांज बताया गया है, का सही रूप से आकलन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अपनी मौखिक सहमति प्रकट की है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baid
Date: 2025.03.27 14:26:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 78/12 निर्णय दिनांक 26.11.21 को आपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, आवश्यक साक्ष्य प्राप्त किये जाकर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.11.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:26:28 IST
Reason: SelfAttested